an>

Title: Need to accord approval to the Multi-Storey buildings having adequate fire safety measures.

श्री गजानन कीर्तिकर (मुम्बई उत्तर पश्चिम): अध्यक्ष महोदया, आपने मुझे सदन में एक गंभीर मुद्दा उठाने की अनुमति दी, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। शुक्रवार 18 जुलाई, 2014 को मेरे निर्वाचन क्षेत्र मुंबई के अंधेरी पश्चिम स्थित एक बहुमंजिली लोटस बिजनेस पार्क नामक रिहायशी इमारत को भीषण आग लग गयी। इस 22 मंजिली इमारत को सुबह करीब 9 बजे अचानक आग लग गयी और देखते ही देखते आग ने रौद्र रूप धारण कर लिया। परन्तु आग बुझाने वाले दमकल कर्मी व दमकल की गाड़ियां करीब आधे घंटे के बाद घटना स्थल पर पहुंची। उस दौरान ऊपर की तीन मंजिलें पूरी तरह ध्वस्त हो गयी, जिससे करोड़ों रुपये की हानि हुई। जब दमकल कर्मी आग बुझाने का भरसक प्रयास कर रहे थे तब येवलेकर नामक दमकल कर्मी की दर्दनाक मौत हो गयी तथा अन्य 16 कर्मी भी बुरी तरह से जख्मी हो गये।

महोदया, मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या ऐसी भयावह स्थिति से तुरंत निपटने के लिए सरकार के पास दमकल कर्मियों व यंत्रणा की कमी है? ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : सेफ्टी मेजर्स करें, केवल इतना आपका सजैशन है। यह स्टेट मैटर है।

श्री गजानन कीर्तिकर : मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष : ठीक है। आप जल्दी अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री गजानन कीर्तिकर : यदि कमी है, तो उसे शीघ्रता से दूर क्यों नहीं किया जा रहा? जबकि ऐसी दुर्घटनाएं आये दिन बढ़ती ही जा रही हैं। इमारतों को ग्लेजिंग ग्लास लगाने का परवाना देना चाहिए। अगर नियम में सेफ्टी एक्ट के तहत कार्रवाई की तरजूद की है, तो इस पर अब तक क्यों नहीं अमल हो रहा है? ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, मेरा लास्ट मुद्दा है। हमारी विनती है कि उपरोक्त गंभीर मुद्दे के बारे में सरकार विचार करे। इस बारे में भारत सरकार द्वारा नैशनल बिल्डिंग कोड घोषित किया गया है लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा। खासकर ग्लेजिंग ग्लास बनायी गयी बिल्डिंग और आगे ऐसी बनने वाली बिल्डिंग्स की सुरक्षा के बारे में सरकार तुरंत कदम उठाये, ताकि भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं पर काबू पाया जा सके।